न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश , ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 3486-III/14

मनोज कुमार गुप्ता S/o रामस्वरूप गुप्ता -- आवेदक
निवासी- सुभाष कालोनी शिवपुरी
बनाम

माधो प्रसाद बंदेल S/o श्री पन्नालाल -- अनावेदक
चन्देल निवासी- ग्राम झींगुरा जिला शिवपुरी

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग - प्रकरण क्रमांक 125 / /2013 -14 अपील मे दिनांक 30.8.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता के 1959 के अन्तर्गत ।

द्वारा प्रस्तुत
Manish Sharma (Adv.)

मनीष शर्मा अधि० 14-10-14 को

माननीय श्रीमान

14-10-14

प्रार्थी / आवेदक की ओर से आवेदननिम्नप्रकार है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

§1§ यह कि अपीलार्थी माधो प्रसाद बंदेल ने ग्राम झींगुरा स्थित सर्वे क्रमांक 268 का बंटाकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय शिवपुरी के समक्ष पेश किया था। जिसका प्रकरण क्रमांक 5 /11 -12 /अ - 3 पंजीबद्ध किया गया था ।

§2§ यह कि, उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुये ग्राम पटवारी सेप्रतिवेदन मंगाया जाकर मौके का नक्से कानिर्मित किया गयाथा तथा उक्त न नक्शा के अनुसार सर्वे नम्बर 268 को 268 /1 एवं268 /2 के रूप मे विभाजित किया गयाथा जिसमे सर्वे नम्बर 268 /1 अपीलार्थी माधो प्रसाद को प्रदान किया गया एवम 268 /2 आवेदक को प्रदान किया गया उक्त आदेश तहसीलदार महोदय द्वारादिनांक 29.12.2012 को पारित किया गयाथा।

§3§ यह कि, माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश केविरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदयके न्यायालय मे प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरणक्रमांक 32 /12 -13 पर पंजीबद्ध किया गया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.12 को मौका एव विक्रय पत्र के आधार पर पर्द बंटाकन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3486-तीन/14 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 125/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर बंटवारा अनुसार बटांकन की मांग की गई है। जिस पर कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.12.2012 को बटांकन रिपोर्ट 05.07.2012 के आधार पर बटांकन स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 17.01.2014 द्वारा अस्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 30.08.2014 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश अपास्त किए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा सर्वे नम्बरान 268 का बटांकन किए जाने बावत आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्राम पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार निर्मित नक्शे के आधार पर उसे समान रूप से दो भागों में 268/1 एवं 268/2 में विभाजित किया था। अनावेदक के अंश विभाजन में सर्वे क्रमांक 268/2 पर आवेदक के स्वामित्व का स्त्रोत यह है कि अनावेदक के सगे भाई उदयराज नेअपने अंश की भूमि का विक्रय आवेदक को किया था। तत्समय अनावेदक के	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों [illegible]भाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सगे भाई ने सर्वे क्रमांक 268/2 की भूमि अपने अंश की भूमि को अपनी बताकर कब्जा दिया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा विक्रय-पत्र के अनुसार विधिवत कब्जा प्राप्त किया था तथा बटांकन प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने से लेकर आज दिनांक तक मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया है, परंतु अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए मौके की स्थिति में परिवर्तन किया था जिससे बटांकन. सूची में परिवर्तन आया। माननीय न्यायालय द्वारा निष्कर्ष के तौर पर दिनांक 03.07.2014 की बटांकन सूची के अनुसार बटांकन किया जाना गलत रूप से न्यायसंगत मानकर विवादित आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. शिवपुरी के आदेशों को सही रूप में निरसत किया है, क्योंकि विक्रय-पत्र के आधार पर विधि अनुसार बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आवेदक ने उदयराज से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र जमीन खरीदी है इसलिए बंटवारे में उदयराज भूमि में से उसे बंटवारा मिलेगा। पूव में गलत बंटवारा किया गया था। आवेदक को अनावेदक के मकान के पीछे की भूमि तथा उनके कब्जे की भूमि बंटवारे में दे दी थी, जो गलत है और इसीलिए पूर्व बंटवारा निरस्त किया जाकर पटवारी विद्याराम से नवीन फर्द बंटवारा दिया गया है जिसमें अनावेदक को सर्वे नं. 268/2 की भूमि बंटवारे में दी गई जो कब्जे और मौके अनुसार है इस आधार पर भी माननीय अपर आयुक्त के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक ने रजिस्ट्री के अनुसार एवं रजिस्ट्री में लिखी चतुर्सीमा से कब्जे की मांग की है जो गलत है। प्रथमतया यह मांग दीवानी न्यायालय के निर्णय के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि आवेदक मनोज उदयराज से आधी भूमि में से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र संपादित करा	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3486-तीन/14 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सकता है, किंतु उसे कब्जा बंटवारे के बाद ही प्राप्त होगा। अतः बंटवारे से पूर्व रजिस्ट्री के आधार पर कब्जे की मांग कर अभिवचन गलत है एवं निरस्त किए जाने योग्य है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण बटांकन का है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील के दौरान राजस्व निरीक्षक को उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर विक्रय-पत्र एवं मौके पर कब्जे के आधार पर बटांकन प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा बटांकन पेश किया गया, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त् बटांकन प्रस्ताव को अनदेखा करते हुए तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक की अनुपस्थिति में तैयार की गई बटांकन रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किए जाने के कारण अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत बटांकन सूची दिनांक 03.07.2013 के अनुसार बटांकन स्वीकार किया गया है। अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	